न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी श्री उम्मेद सिह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 88/2019
प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 राज. लैण्ड रेवन्यू एकट

1. सन्दीप कौर पुत्री श्री मेजर सिह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 7 चक 4 एनटीडब्ल्यू ढाणी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

प्रार्थीया

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ

अप्रार्थी

उपस्थित :-

1 श्री सुनील टाण्डी अधिवक्ता – प्रार्थीया

निर्णय　　　　　　　　दिनांक :– 21.10.2019

वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट का इस आश्य का पेश किया कि प्रार्थीया के नाम से चक नं. 12 बीजीपी के खाता संख्या 90/80 मे खाता में एकल खाता नयनदीप कोर में प्रार्थीया के नाम से 1.404 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसकी जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीया का नाम चक 12 बीजीपी कि जमाबन्दी में सहवन से नयन दीप कौर दर्ज हो गया जो गलत है जो कतई सही नहीं है को दुरूस्त करवाना चाहती है। इसलिए प्रार्थीया का नाम नयनदीप कौर को दुरूस्त कर उसके स्थान पर संदीप कौर उर्फ नयनदीप कौर पुत्री श्री मेजर सिह किये जाना न्याय संगत है तथा अन्य सभी दस्तावेजो में जैसे आधार कार्ड राशन कार्ड कक्षा 10 की अंकतालिका में प्रार्थीया का नाम संदीप कौर दर्ज है। जिनकी प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र है व प्रार्थीया के नाम के आगे नाबालिक कुदरतीबली माता जसवीर कौर दर्ज है जिसको दुरूस्त करवाना चाहती है क्योंकि प्रार्थीया अब बालिंग हो चुकी है। प्रार्थीया की जन्म दिनांक 07.03.2001 है, जिसकी कक्षा 10 की अंकतालिका संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी से पिछले सप्ताह निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया का नाम संदीप कौर पुत्री श्री मेजर सिह के स्थान पर नयनदीप कौर दर्ज है जिससे दुरूस्त किया जाकर नयनदीप कोर के स्थान पर सदीप कौर उर्फ नयनदीप कौर पुत्री श्री मेजर सिह दर्ज करने व उक्त जमाबन्दी में प्रार्थीया के नाम के आगे नाबालिग कुदरती बली माता का हटाने से इन्कार कर दिया। बस यही प्रार्थना पत्र कारण है। प्रार्थीया का नाम चक 12 बीजीपी की जमाबन्दी के अलावा अन्य सभी प्रमाण पत्र जैसे पहचान पत्र आधार कार्ड व राशन कार्ड में संदीप कौर पुत्री श्री मेजर सिह दर्ज है जबकि चक नं. 12 बीजीपी की जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम नयनदीप कौर पुत्री मेजर सिह दर्ज होने से भारी परेशानी होती है। प्रार्थी का जमाबन्दी चक नं. 12 बीजीपी में राजस्व रिकार्ड का नाम नयनदीप कोर पुत्री मेजर सिह को दुरूस्त कर उसके स्थान पर प्रार्थीया का नाम संदीप कौर उर्फ नयनदीप कौर पुत्री श्री मेजर सिह नहीं किया गया व जमाबन्दी में प्रार्थीया के नाम के आगे नाबालिग कुदरबली माता जसवीर कौर का नाम नहीं हटाया गया तो प्रार्थीया को भविष्य में कभी भी ना पुरा होने वाला नुकसान का अन्देशा बना रहेगा जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में नहीं आंकी जा सकती है। प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक न. 12 बीजीपी खाता सं. 90/80 जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम संदीप कौर उर्फ नयनदीप

कौर पुत्री श्री मेजर सिह दर्ज करने व जमाबन्दी में प्रार्थीया के नाम के आगे नाबालिग कुदरतबली माता जसवीर कौर का नाम हटाने के आदेश फरमावें।

उक्त प्रार्थना–पत्र पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाहने के बाद उन्होने अपने पत्र क्रमांक 3814 दिनांक 24.09.2019 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 12 बीजीपी की जमाबन्दी सम्वत 2069–72 के खाता संख्या 90/80 मे जरिये डिक्री नयनदीप कौर पुत्री श्री मेजर सिह दर्ज राजस्व रिकार्ड हुआ है। मौका पर जाकर जांच करने पर पाया गया कि नयनदीपकौर पुत्री मेजर सिह तथा अन्य दस्तावेजो अंकतालिका आधार कार्ड आदि में नाम संदीपकौर पुत्री श्री मेजर सिह दर्ज है। पूछताछ करने पर पाया गया कि नयनदीप कौर व संदीपकौर एक ही व्यक्ति के दो नाम है ओर मेजर सिह के एक ही लडकी है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में नयनदीप कौर उर्फ सन्दीप कौर परिवर्तीत किया जाना उचित बतलाया। दौराने बहस वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र मे दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार करने का निवेदन किया गया। बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन तथा तहसीलदार संगरिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से प्रार्थना पत्र प्राथीया पुर्णतः सिद्व पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि चक नं. 12 बीजीपी जमाबन्दी सम्वत 2069–72 के खाता संख्या 90/80 में प्रार्थीया का नाम नयनदीप कौर पुत्री मेजर सिह के स्थान पर संदीप कौर उर्फ नयनदीप कोर पुत्री मेजर सिह दर्ज किया जावे तथा इसी मुताबिक जमाबन्दी में दुरूस्ती की जावे। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.25 17:34:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: